वित्तीय स्वीकृति
संख्या :– 7/XVII 2/2017–10(03)/2016

प्रेषक,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2017

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3516/स0क0/लेखा–बजट(03)/2017–18 दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह अधिष्ठान हेतु **₹ 67,000/– (रूपये सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।
3. उल्लेखनीय है कि बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।
4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. शासन द्वारा निर्गत धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

7. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व यथावश्यकता सक्षम स्तर की सहमति प्राप्त की जाए।

8. अवमुक्त धनराशि आहरण-वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। प्रत्येक माह आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम-17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. व्यय करने के पूर्व जिस मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

12. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में बजट प्राविधान से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0-8 (पुराना बी0एम0-13) पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह तक की व्यय बचत सूचना उपलब्ध कराया जाय।

13. नियंत्रणाधीन विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकार से कराया जाना सुनिश्चित करेंगें ।

14. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जाय।

15. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–02–104–03 की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह बजट आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S1712150224 दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 के द्वारा जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–903/XVII–2/2017–10(03)/2016 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जे0पी0 बेरी)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

पत्र संख्या - 903 /XVII-2/17-10(03)2016

संख्या - 015

अलोटमेंट आई डी - S17121150224

आवंटन पत्र दिनांक - 21-Dec-2017

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण

104 - वृद्ध,अशक्त,दुर्बल तथा निःसहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण

03 - वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह

00 - वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवास गृह

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	1100000	0	1100000
03 - महंगाई भत्ता	100000	0	100000
04 - यात्रा व्यय	10000	0	10000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8000	0	8000
06 - अन्य भत्ते	100000	0	100000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	25000	0	25000
09 - विद्युत देय	100000	0	100000
10 - जलकर / जल प्रभार	10000	0	10000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	25000	0	25000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	33000	67000	100000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	17000	0	17000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	33000	0	33000
31 - सामग्री और सम्पूर्ति	125000	0	125000
41 - भोजन व्यय	500000	0	500000
42 - अन्य व्यय	25000	0	25000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	15000	0	15000
	2276000	**67000**	**2343000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 67000